फर्द अहकाम

(नियम 26)

①

...लत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

सुब्बा बनाम सम्पत

...कदमा दावा रा0का0अधि0 .... नं0 ....

....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...1.2017	वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राज. काश्त.अधिनियम पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन तलब हो। पत्रावली दि0 28.02.2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, अलवर। 28/2/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/वकुलाय उप0। वादी .... जवाब दिनांक 15/3/17 .... प्रति-1 व 6 की अर्जी की पालना बाद उपखण्ड अधिकारी 15/3/17 उभयपक्ष उप0। वास्ते जवाब/मोव की तकमील हेतु तलबाना पेश हो। दिनांक 30/3/17 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी	

d/officework/reader/tyrt

7/3/17

वकील वादी/वकुलाय उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते .... दिनांक 28/... को पेश हो।

रीडर

Scanned with OKEN Scanner

3/8/17 उपरोक्त पत्रावली पेशी से आज पेश।
वकील वादी/वकुलाय उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते आदेश/बहस दिनांक 7.9.17 को पेश हो।

सुनवाई 7.9.17
वकील वादी/वकुलाय उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 26.9.17 को पेश हो।
रीडर

Shubash noted 3/10/17

26/9/17
उभय पक्ष उप0। वास्ते जवाब/बहस की तलबी हेतु दि. 3-10-17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
अलवर

Noted 3/10/2017 Adv.

3-10-17
वकील वादी/वकुलाय उप0। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते आदेश/बहस दिनांक 5.10.17 को पेश हो।
रीडर

वाइदे 10/17 OK Adv. noted 3-10-17

5/10/17
उभय पक्ष उप0। पीठासीन अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दि. 10-10-17 को पेश हो।

10-10-17
उभय पक्ष उप0। वास्ते जवाब/बहस की तलबी प्रति. दि. 17-10-17 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
अलवर

17-10-17
उभय पक्ष उप0। पीठासीन अन्य प्रशा0 कार्यों में व्यस्त है। दि. 24-10-17 को पेश हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-10-17 पत्रावली पेश। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 30-10-17 को पेश हो। 30-10-17 पत्रावली पेश। उभय पक्ष उप०। वास्ते तलबी तरतीबी प्रति: दि. 20/11/17 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जलेसर 20/11/17 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते उपस्थिति दिनांक 13-12-17 को पेश हो। रीडर 13-12-17 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते उपस्थिति दिनांक 5-1-18 को पेश हो। रीडर 5-1-18 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते उपस्थिति दिनांक 15/2/18 को पेश हो। रीडर 15/2/18 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते उपस्थिति पेश किया दिनांक 26/4/18 को पेश हो। रीडर 26-4-18 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14-9-18 को पेश हो। रीडर 14-9-18 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18-10-18 को पेश हो। 18-10-18 वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27-11-18 को पेश हो।	

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही ... कार्यवाही ... जज
27-11-18	पत्रावली न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ... से ट्रान्सफर होकर प्राप्त हुई। उभय पक्ष उप./ तनकीयात कायम की जाती है। वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 17-12-18 को पेश हो।
	सहायक कलक्टर एवं ... कार्यपालक मजि. (IAS प्रशिक्षण) अलवर
17-12-18	पत्रावली पेश। वकील वादी ने साक्ष्य में सुल्खा, हनीफ खां, साबु खां के शपथ पत्र पेश किये। PO साक्ष्य अन्य प्रशा. कार्य में व्यस्त है। दि. 27-12-18 को पेश हो।
साबु खां हनीफ खां सुल्खा	27-12-18 पीठासीन अधिकारी ... कार्य में व्यस्त है। अवकाश पर ... पत्रावली आगामी ... दिनांक 7.1.19 को पेश हो।
	7.1.19 पीठासीन अधिकारी अन्य ... कार्य में व्यस्त है। अवकाश पर ... पत्रावली आगामी 15/1/19 ... को पेश हो।
	15/1/19 पीठासीन अधिकारी ... कार्य में व्यस्त है। अवकाश पर ... पत्रावली आगामी 12-2-19 ... को पेश हो।
	वकील वादी/वकुलाय उप0। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते ...... दिनांक 12-3-19 ...को पेश हो। सुदि. 1 लगा. c की ओर से भी ... आदि ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12/3/19

पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक [illegible] अवकाश पर जाने से। पत्रावली [illegible] .... दिनांक को पेश हो।
9.4.19

रीडर

9.4.19
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते.........
......14.5.19.......को पेश हो।

14.5.19

पत्रावली पेश। उभय पक्ष उप०। वकील प्रति. ने प्रा.पत्र 0.14 R 5 cpc पेश किया। नकल वादी वकील को दी गई। वास्ते जवाब/बहस दि. 11.6.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

11.6.19

उभय पक्ष उप०। वकील वादी ने जवाब प्रा.पत्र 0.14 R 5 cpc पेश किया। नकल प्रतिवादी वकील को दी गई। वास्ते बहस दि. दिनांक 9.7.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

9.7.19
वकील वादी/वकुलाय उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते ....बहस दर.......दिनांक 13.8.19 को पेश हो।

रीडर

13.8.19
उभय पक्ष उप०। वास्ते बहस दर. दिनांक 10.12.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
10/12/19	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पक्ष उप.। प्रा.पत्र 014 RS-CPC पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा.पत्र दिनांक 23-12-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज0)
23/12/19	पत्रावली पेश। अप्रार्थी पक्ष उप.। प्रा.पत्र 014 RS CPC सारभूत तथ्यों से परे होने पर 200/- cost पर अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि 9.1.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज0)
9.1.20	अप्रार्थी पक्ष उप.। वकील प्रति. ने प्री.पत्र पेश किया। वास्ते साक्ष्यवादी दि. 6.2.2020 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज0)
6.2.20	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी पक्ष उप.। वकील प्रतिवादी ने माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के मिसल तलबी पत्र/TA/निग./2020/199/अलवर/17.3.2020 दिनांक 21.1.20 पेश किया। पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर भेजी जावे। उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज0)

(7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर, जिला–अलवर (राज0)

सुब्बा बनाम सम्पत वगैरा

राजस्व वाद सख्या : 1/10/2017

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 जा.दी.)

आदेश

दिनांक : 23.12.19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से आदेश 14 नियम 5 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकारों के महत्वपूर्ण अधिकारों के निर्धारण हेतु न्यायहित में 1. क्या पक्षकारान् जाति से मुसलमान है इसलिए उन पर पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार का सिद्वान्त लागू होता है ? 2. क्या साबिक राज़स्व रिकार्ड में आराजी कस्टोडियन इवेक्यू प्रोपर्टी होने से पक्षकारो के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है ? 3. क्या राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने के दिन यानि सम्वत् 2012 मे जो राजस्व रिकार्ड क़ेवल बहक वादी दर्ज है उससे मौजूदा वाद में क्या प्रभाव होगा ? तनकीयात ओर कायम किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी/वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के अनुसार नवीन तनकी कायम कराने का अधिकारी नहीं हैं क्योंकि प्रार्थी/प्रतिवादी ने जवाब दावा के जि.न. 1 ला.16 में केवल गलत है अस्वीकार अंकित किया है। विशिष्ट रूप से वाद के जिमनो में अंकित तथ्यों का नाम मात्र का भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। प्रस्तावित तनकीयात के बारे में जवाब दावे में कोई लिखित कथन नहीं किया है। अतिरिक्त कथन में उल्लेख किया है कि प्रस्तावित तनकी न तो आवश्यक है ना ही इनका कोई औचित्य व आधार है। धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट में जाति का कोई विवाद नहीं है और ना ही पैत्रिक सम्पत्ति के आधार पर दावा किया गया है। कस्टोडियन का विवाद भी नहीं है। दावे में वर्णित आराजी पाकिस्तान से भारत से आने वाले किसी शरणार्थी को आवंटित भूमि नहीं है। प्रकरण में तनकी कायम किये काफी समय हो चुका है तथा साक्ष्य प्रारम्भ हो चुकी है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह के लिए अवसर लेकर देरी की जा रही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के निस्तारण के लिए प्रस्तावित तनकीयात को कायम किया जाना आवश्यक है। पक्षकारान् जाति से मेव है इसलिए मुस्लिम लॉ से गवर्न होते है। हिन्दू लॉ में पैत्रिक सम्पति का सिद्वान्त लागू होता है। मुस्लिम लॉ में यह लागू नहीं होता है। विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि है इसलिए दावा चलने योग्य हीं नहीं है। सम्वत् 2012 में वादी का नाम नहीं है।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुये तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा दावे में दिनांक 15.12.2018 को जवाब पेश किया गया है जिसमें दावे के समस्त जिम्मन को केवल अस्वीकार किया गया है। ऐसा कोई विशिष्ट कथन नहीं किया है और ना ही प्रस्तावित तनकीयात के कथन जवाब में उल्लेखित किये गये है। दावे व जवाब दावे में जो तथ्य/अभिकथन है ही नहीं तो उन पर तनकीयात नहीं बनाई जा सकती जाति मेव होने भूमि कस्टोडियन होने एवं पैत्रिक आराजी होने आदि तथ्यों का उल्लेख जवाब दावे में नहीं किया है। इनके द्वारा अपनी प्लीडिंग्स से बाहर जाकर बिना तथ्यों के तनकीयात प्रस्तावित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में दिनांक 17.11.2018 को तनकीयात बनी यदि इनमें कोई कमी थी जो तभी आपत्ती करते । प्रकरण दिनांक 17.12.2018 से साक्ष्य वादी में चल रहा है तथा शपथ पत्र भी पेश किये जा चुके है। उनका यह भी तर्क है कि आर्डर 14 रूल 1,3,4 के तहत प्रस्तावित तनकीयात के बारे में इनका कोई अभिकथन जवाब में नहीं है कोई उत्तर नहीं है तथा कोई दस्तावेज भी नहीं है। इसलिए तनकीयात संशोधन किये जाने का कोई ओचित्य नहीं है। सम्वत 2001सें खातेदार है। स.2020 में बन्दोबस्त पांचो का नाम आ गया परन्तु मिसल बन्दोबस्त में दो का नाम आ.गया तीन का छूट गया। यहीं सम्वत 2051 में हुआ है। उनका तर्क है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्यों से परे है इसलिए खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 27.11.2018 को तनकीयात कायम की जा चुकी है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि विवाद्यक़ो की संरचना दोनों पक्षों के लिखित अभिकथनों एवं सुसंगत दस्तावेज के आधार पर की जावे। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अप्रार्थी/वादी के दावे का जवाब प्रस्तुत किया गया है परन्तु जवाब दावे के जि.न.1–16 में वाद पत्र के समस्त जिम्मनों को अस्वीकार किया गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई कथन अंकित नहीं किया है। केवल मात्र अस्वीकार शब्द लिखकर जवाब संस्थित किया गया है। इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य ही नहीं रखा गया जिससे प्रस्तावित तनकीयात के बिन्दुओं पर विचार किया जाता। वाद पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में ना तो जाति का बिन्दु विवादित है ना ही इवेक्यू प्रोपर्टी का बिन्दु निहित है और ना ही पैत्रिक भूमि का बिन्दु निहित है। उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं वाद पत्र में उल्लेखित अभिकथनों के अनुसार मुख्य अनुतोष बन्दोबस्ती इन्द्राज दुरूष्ती का है। प्रार्थी द्वारा जो तनकीयात प्रस्तावित की गई है उनका प्रश्नगत प्रकरण में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रस्तावित तनकीयात में निहित बिन्दु इस प्रकरण में विवादित बिन्दु नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में 27.11.2018 को तनकी कायम की गई थी उसके पश्चात् प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ होकर शपथ पत्र पेश हो चुके है। प्रार्थी द्वारा लगभग 5 माह बाद यह प्रार्थना पत्र पेश कर ओर तनकीयात कायम किये जाने का अनुरोध किया गया है जो तर्कसंगत नहीं है। प्रार्थी ने ना तो जवाब दावे में कोई तथ्य अंकित किये है ना ही अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित तनकीयात के समर्थन में कोई दस्तावेज व अभिकथन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र महज प्रकरण में अनावश्यक देरी करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारभूत तथ्यों से परे होने के कारण 200 रूपये कोस्ट पर अस्वीकार किया जाता है।

(योगेश कुमार डागुर)
23.12.19
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-5-23 पत्रावली वादी/वकील वादी के प्रार्थना-पत्र पर तलब की गई प्रा०पत्र में अंकन किया गया है कि प्रकरण आपसी स्तर पर राजीनामा हो चुका है। प्रकरण को इसी स्तर पर निस्तारण ड्राप चाहते हैं। वादी/वकील वादी को सुना गया वादी अंकन करने के उपरान्त वादी/वकील वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी अलवर	